From

Deputy Commissioner-cum-President,
District Red Cross Society, Ambala.

To

The District Information Officer,
N.I.C., Ambala.

No. RCA/2018/ AMP/18/3 dated 6/4/18

Subject: **Publishing of auction notice for Vehicle Parking in the premises of Civil Hospital, Ambala City.**

R/Sir,

The District Red Cross Society, Ambala Annapurna invites the interested firms/persons for arranging vehicle parking in the premises of Civil Hospital, Ambala City through auction on the enclosed terms and conditions and auction notice.

You are requested to kindly upload the enclosed auction notice for arranging vehicle parking in the premises of Civil Hospital, Ambala City alongwith terms and conditions attached in the District Website i.e. www.ambala.gov.in on or before 09-04-2018.

Encls. As above.

Secretary,
For Deputy Commissioner-cum-President,
District Red Cross Society, Ambala.

6/4/18

वाहन पार्किंग प्रबंधन परिसर नागरिक अस्पताल, अम्बाला शहर

<u>नीलामी सूचना</u>

जिला रैडक्रास सोसाईटी, अम्बाला अन्नपूर्णा द्वारा नागरिक अस्पताल, अम्बाला शहर के परिसर में वाहन पार्किंग की व्यवस्था हेतु पार्किंग चलाने के लिए दिनांक 20-04-2018 को 3.00 बजे कार्यालय उपमण्डल अधिकारी (ना0), अम्बाला शहर के कार्यालय में नीलामी की जाएगी जिसकी अवधि शुरु में एक वर्ष के लिये होगी। इच्छुक पार्टिया/व्यक्ति जिनको वाहन पार्किंग चलाने का कम से कम दो वर्ष अनुभव है, अपने पहचान पत्र व अनुभव प्रमाण पत्र व अन्य कागजात के साथ नीलामी में शामिल हो सकते है। नीलामी में शामिल होने के लिये सम्बन्धित पार्टी/व्यक्ति को मु0 50,000/- रु0 की राशि का ड्राफट जो कि "District Red Cross Society, Ambala Annapurna" के पक्ष में हो या नगद जिला रैडक्रास सोसाईटी, अम्बाला में जमा करवाना होगा। पार्किंग की अन्य नियम व शर्ते कार्यालय जिला रैडक्रास सोसाईटी, अम्बाला के नोटिस बोर्ड व जिला प्रशासन की वैबसाईट ambala.gov.in पर भी देखी जा सकती है।

सचिव,
जिला रैडक्रास समिति
अम्बाला अन्नापूर्ण,
फोन नं0 0171-2530556

नागरिक अस्पताल, अम्बाला शहर के परिसर में वाहन पार्किंग की व्यवस्था हेतू प्रस्तावित नियम व शर्तें निम्नानुसार है:-

1 यह कि पार्किंग ठेका अवधी शुरु में एक वर्ष के लिये होगी, जो कि कार्य संतोषजनक पाये जाने पर प्रत्येक वर्ष मासिक किराये में न्यूनतम 10 प्रतिशत वृद्वि करते हुये ठेका अविध आगामी दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।

2 यह कि वाहन पार्किंग की नीलामी हेतू न्यूनतम रिर्जव कीमत मु0 70,000/- रु0 प्रति माह होगी।

3 यह कि नीलामी में हिस्सा लेने के लिये ठेकेदार के पास कम से कम दो वर्ष उक्त कार्य करने का अनुभव होना चाहिया।

4 यह कि ठेकेदार द्वारा नीलामी से पूर्व अग्रिम जमानत राशि में मु0 50,000/- रु0 की राशि का डिमांड ड्राफट जिला रैडक्रास सोसाईटी, अम्बाला अन्नपूर्णा के नाम या नगद जमा करवाना होगा।

5 यह कि बोलीदाता के पास नीलामी में हिस्सा लेने हेतू पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो, पिछले छः माह की बैंक स्टेटमैंट व पिछले दो साल की आयकर रिटर्न की सत्यापित प्रतियां साथ रखनी होगी, कागजों में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर बोलीदाता को निरस्त किया जा सकता है।

6 यह कि ठेकेदार पार्किंग के लिए चिन्हित क्षेत्र बोली देने से पूर्व देख सकते है, बाद में विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। चिन्हित क्षेत्र में ही पार्किंग फीस की वसूली की जाएगी।

7 यह कि अन्तिम बोलीदात द्वारा बोली के तीन दिन के अन्दर तीन महीने का एंडवास किराया चैक/डिमांड ड्राफट की सूरत में जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा ना करवाने की सूरत में अग्रिम राशि मुबलिग 50,000/- रूपये जब्त करते हुये द्वितिय बोलीदाता (दूसरे नम्बर पर आने वाले बोलीदाता) को कार्य अलाट कर दिया जायेगा।

8 यह कि तीन महीने का एंडवास किराय बतौर सिक्योरिटी कार्यालय में जमा रहेगा, जो कि ठेका अवधि के अन्तिम महीनों में एडजस्ट किया जायेगा

9 यह कि ठेकेदार को मासिक किराया प्रत्येक मास की 7 तारीख से पूर्व कार्यालय में जमा करवाना होगा, देरी की सूरत में मुबलिग 100/- रूपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना जमा करवाना होगा।

10 यह कि ठेकेदार द्वारा माकिस किराये में 15 दिनों से अधिक की देरी पर लेट फीस के रुप में बकाया राशि पर पहले महीने तक 12 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज लगेगा तथा यदि वह एक महीने के बाद भी राशि जमा नही करता तो उपायुक्त अम्बाला को पार्किंग का ठेका/लाईसैंस रद्द करने का अधिकार होगा तथा ठेकेदार द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि भी जब्त कर ली जाएगी।

11 यह कि उक्त परिसर में पार्किंग हेतु जो चिन्हित स्थान होगें, उनका ही प्रबंधन ठेकेदार द्वारा किया जायेगा, जिसमें से चिन्हित स्थान में नागरिक अस्पताल, अम्बाला शहर के कर्मचारियों के वाहन पार्क किये जायेगें, जिसका कोई किराया/चार्ज वसूल ना किया जायेगा, दूसरे स्थान पर किराया वसूल किया जायेगा।

12 यह कि वाहन पार्किंग दरें मु0 10/- रु0 दोपहिया व तिपहिया (आटो) वाहन के लिए, मु0 20/- रु0 चारपहिया वाहन (कार व अन्य कमर्शियल) के लिए होगी तथा साईकल रिक्शा मु0 5/- रूपये तथा ट्राईसाईकल के लिए निशुल्क पार्किंग दर रखी जानी प्रस्तावित हैं।

13 यह कि पार्किंग स्थल पर साफ-सफाई की व्यस्था रखने व करने के लिये जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी, जिसका खर्च ठेकेदार स्वंय वहन करेगा।

14 यह कि पार्किंग स्थल पर यदि बैरिकेडिंग, कंटीली तार, सूचना पट्ट आदि व अन्य किसी प्रकार की आवश्यकता का खर्च ठेकेदार स्वयं वहन करेगा।

15 यह कि पार्किंग में खड़े वाहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। यह कि पार्किंग क्षेत्र में पार्क किए गए वाहन में रखे गये सामान की जिम्मेवारी ठेकेदार की नहीं होगी।

16 यह कि सम्बन्धित ठेकेदार यदि निर्धारित अवधि से पहले ठेका को छोड़ता है, तो उसकी अग्रिम जमानत राशि व तीन महीने का एंडवास किराया (100 प्रतिशत) जब्त कर ली जाएगी।

17 यह कि जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित पार्किंग क्षेत्र में ही निर्धारित पार्किंग शुल्क की वसूली की जाएगी। यदि ठेकेदार निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूल करता पाया गया तो उससे प्रथम बारे 500/- रूपये, द्वितिय बार 1000/- रूपये, तृतीय बार 2000/- रूपये जुर्माना राशि वसूल की जायेगी और उसके बाद नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये ठेका रद्द किया जा सकता है, जिस बारे माननीय उपायुक्त, अम्बाला का निर्णय अंतिम होगा, इसके विरूद्व ठेकेदार कोर्ट में नहीं जा सकता।

18 यह कि पार्किंग में पर्याप्त कर्मचारी बावर्दी व नेम प्लेट के साथ कर्मचारी तैनात करने होगें और सभी कर्मचारियों की पूरी जिम्मेवारी पार्किंग ठेकेदार की होगी।

19 यह कि प्रत्येक वाहन की पार्किंग पर्ची काटी जाएगी तथा निर्धारित शुल्क ही वाहन मालिक से लिया जाएगा।

20 यह कि वाहन की सुरक्षा से सम्बन्धित सिविल व अन्य मामलों का उत्तरदायित्व पार्किंग ठेकेदार का होगा।

21 यह कि यदि ठेकेदार द्वारा किसी भी नियम व शर्त का उल्लघंन किया जाता है तो उपायुक्त अम्बाला को पार्किंग ठेका अवधि रद्द करने का अधिकार होगा।

22 यह कि उपायुक्त कार्यालय व जिला रैडक्रास सोसाईटी, अम्बाला के कर्मचारी/प्रतिनिधि को किसी भी समय पार्किंग स्थल व इससे सम्बन्धित रिकार्ड का निरीक्षण करने का पूरी अधिकार होगा।

23 यह कि ठेकेदार पार्किंग क्षेत्र के लिए सुरक्षा से सम्बन्धित सुरक्षा गार्ड तैनात करेगा।

24 यह कि अंतिम नीलामी राशि को स्वीकार करने का अधिकार उपायुक्त अम्बाला को होगा।

25 यह कि सबसे अधिक नीलामी देने वाले ठेकेदार को जिला रैडक्रास सोसाईटी कार्यालय से स्वीकृति पत्र मिलने के 7 दिन के अन्दर-अन्दर कार्य शुरु करना होगा और निर्धारित समय में कार्य शुरू न करने पर भी मासिक किराया कटना आरंभ हो जायेगा।

26 यह कि सरकारी वाहनों के लिए कोई पार्किंग शुल्क नहीं लिया जायेगा।

27 यह कि पार्किंग का समय 24X7 होगा।

28 परिसर में स्थित विभागों से संबधित अधिकारियों व कर्मचारियों को पार्किंग हेतू अलग से स्टिकर प्रदान किये जांएगें।

29 यह कि पार्किंग फीस की अवधि 24 घंटे के लिए होगी।

30 यह कि पार्किंग ठेकेदार को शिकायत/सुझाव रजिस्टर पार्किंग स्थल रखना होगा।

31 यह कि पार्किंग स्थल पर ठेकेदार पांर्किग रेट के अतिरिक्त कोई भी विज्ञापन आदि नही लगायेगा।

32 यह कि ठेकेदार पार्किंग स्थल पर स्टाफ व अन्य रिकार्ड हेतु अस्थाई शैड का निर्माण कर सकता है जिसके बाहर पार्किंग ठेकेदार का नाम, दूरभाष संख्या तथा पार्किंग फीस की दरों का दर्शाया जाना जरुरी होगा। यदि आवश्यकता पड़ने पर पार्किंग स्थल में बदलाव किया जाता है तो यह अधिकार जिला रैडक्रास सोसाईटी, अम्बाला के पास होगा।

33 यह कि विकलांग व्यक्ति से तथा थ्री व्हीलर, रिक्शा, रेहड़ा जो कि सवारियों को केवल छोड़ने के लिए बाजार में आते है, उनसे कोई पार्किंग फीस नहीं ली जाएगी।

34 यह कि यदि ठेकेदार उक्त कार्य को निर्धारित अवधि से पूर्व छोड़ता है, तो उसे Black List करने का अधिकार जिला रैडक्रास सोसाईटी, अम्बाला के पास होगा।

35 यह कि प्रशासन/स्वास्थ्य विभाग, अम्बाला को प्रशासनिक व अन्य किन्ही कारणों से पार्किंग को स्थाई/अस्थाई रुप से बन्द करने का अधिकार होगा।

36 जिला प्रशासन अम्बाला पार्किंग स्थल को सुविधानुसार ठेकेदार को बिना सूचना दिए बदलने का अधिकार होगा, जो कि ठेकेदार को मान्य होगा।

37 यह कि उपायुक्त अम्बाला को ठेका अवधि बिना कोई कारण बताये व बिना किसी सूचना के किसी भी समय रद्द करने का अधिकार होगा।

38 उपरोक्त के इलावा उपायुक्त अम्बाला को किसी भी समय अन्य शर्त जोड़ने या बदलने का पूर्ण अधिकार होगा।

39 यदि वाहन पार्किंग क्षेत्र से बाहर खडे पाए जातें है तो यह ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी की वह ट्रेफिक पुलिस के एस0एच0ओ0/डी0सी0पी0 से सम्पर्क कर ऐसे वाहनों का चालान करवाने हेतू सूचित करे।

40 यदि कोई वाहन बिना सूचना के तीन दिन से अधिक पार्किंग स्थल में खड़ा रहता है, तो इस बारे लिखित सूचना में सम्बन्धित पुलिस थाना/चौकी दर्ज करवाने की जिम्मेवारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी।

41 यह कि यदि किसी प्रकार का कोई झगड़ा या झगड़े जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसी स्थिति/झगड़े को सुलझाने में प्रथम अपीलीय अधिकारी एस0डी0ओ0(सिविल), अम्बाला शहर होंगे तथा अंतिम व द्वितिय अपीलीय अधिकारी उपायुक्त, अम्बाला होगें तथा उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा दोनों पक्षों को स्वीकारियहोगा। इस अधिकार के तहत उपायुक्त अम्बाला को पार्किंग से सम्बन्धित नियम व शर्तो में बदलाव व अन्य शर्ते जोड़ने का एकाधिकार होगा तथा किसी भी पक्ष को उपायुक्त अम्बाला के एकाधिकार को चुनौती देने का अधिकार नही होगा।